



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
मेलपुरम शाखा
3/1 एम-3 , एलज़डै टॉवर्स
प्रथम तल, नडुत्तलै, वेदुवेलै
पाक्कोड पोस्ट
मेलपुरम – 629 168
तमिलनाडु

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) में वर्णित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाएगा, के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी विक्रय सूचना

आम जनों के साथ विशेष रूप से उन उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं) को एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति आरक्षित ऋण प्रदाता के पक्ष में संपार्श्विक/ भारित है, जिसका प्रतीकात्मक/ भौतिक कब्ज़ा (जो भी लागू हो) प्राधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, ज़मानती लेनदार द्वारा लिया जा चुका है और जिसकी बिक्री दिनांक 18.03.2021 को “जहाँ भी जैसा भी”, “जो है जैसा भी” और “जो भी वहां है” के आधार पर की जाएगी ताकि रु. 5, 74,000/- (रु.पाँच लाख, चौहत्तर हजार रुपए मात्र) की वसूली की जा सके जो इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, मेलपुरम शाखा के उधारकर्ता (ओं) श्री **जॉर्ज.ए.** सुपुत्र श्री अप्पावु नाडार, तेनप्पारविलै वीडु, पाक्कोड पोस्ट- 629 168 ।

आरक्षित कीमत रु. 15,28,313/- (रु. पंद्रह लाख, अट्ठाईस हजार, तीन सौ तेरह मात्र) होगी और बयाना राशि जमा रु.1,52,831/- (रु. एक लाख, बावन हजार, आठ सौ इकतीस मात्र) होगा।

अचल सम्पत्ति(यों) का विवरण

कन्याकुमारी राजस्व जिला , मार्ताण्डम पंजीकरण जिला, मार्ताण्डम जॉइंट 11 : उप-जिला , विलवनकोड तालुक, पाक्कोड गाँव, पाक्कोड देशम (पुराना सर्वे नं 1985) , रीसर्वे नं 349/1 में 35.750 सेंट ज़मीन में निम्नलिखित सीमाओं के भीतर समस्त उप-साधनों के साथ स्थित है ।

सीमाएँ :

पश्चिम में मतिलविलै जॉसफ़ की संपत्ति
मद सं 2 के पूर्व : ए श्येड्यूल में संपत्ति
उत्तर में आरडि
दक्षिण में अब्रहाम की संपत्ति

संपत्ति श्री जॉर्ज , सुपुत्र श्री अप्पावू नाडार के नाम में है।

*स्थानीय निकाय (संपत्ति कर, पानी निकासी, बिजली बिल इत्यादि) को बकाया राशि - **ज्ञात नहीं**

*सांविधिक बकायों की तुलना में बैंक बकाए को प्राथमिकता प्राप्त है।

ई-नीलामी की तिथि व समय : दिनांक 18.03.2021 को 11.00 बजे से 02.00 बजे तक और <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi> प्लेटफॉर्म पर बिक्री पूर्ण होने तक प्रत्येक बार 5 मिनट के स्व-विस्तार के साथ।

बिक्री के नियम व शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए सेवा प्रदाता के लिंक <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi> या बैंक की वेबसाइट www.iob.in [<https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E-Auction> पर जा सकते हैं।

स्थान : नागरकोइल
दिनांक : 10.02.2021

प्राधिकृत अधिकारी
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

.....

इसे कथित ऋण के उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं) को उपर्युक्त तिथि पर ई-नीलामी के सम्बन्ध में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/ नियम 9(1) के तहत दी गई सूचना भी माना जाएगा।

नियम व शर्तें

1. संपत्ति(यों) को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण में ई-नीलामी से सेवा प्रदाता के जरिए <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi> बेचा जाएगा।
2. इच्छुक बोली लगाने वालों/ क्रेताओं से अनुरोध है कि वे पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi> पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के जरिए पंजीकरण करें। आगे, उनसे निवेदन है कि वे अपेक्षित दस्तावेज़ अपलोड करें। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेज़ों का साक्षांकन होने के बाद (2 कार्यदिवस में संभव है) इच्छुक बोली लगाने वाले/ क्रेतागण को बयाना राशि जमा को अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में निहित ऑनलाइन मोड से तिथि 17.03.2021 को शाम पांच बजे तक ईएमडी राशि अंतरित करनी होगी। इच्छुक बोली लगाने वालों के पास वैध ई-मेल आईडी होनी चाहिए और उपर्युक्त वर्णित सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना नाम / खाता पंजीकृत करना होगा।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है बयाना राशि जमा (ईएमडी) का भुगतान नेफ्ट/ आरटीजीएस मोड से बोली लगाने वाले के ग्लोबल ईएमडी खाते से किया जाएगा (इस लिंक से <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi> चालान उत्पन्न होने के बाद जिससे **खाता विवरण का पता चल सकेगा**) जो बोली लगाने वाले ईएमडी राशि ऑनलाइन नहीं जमा करेंगे उन्हें ई-नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। बगैर ईएमडी के बोलियां पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दी जाएंगी। बयाना राशि जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोली लगाने वाले द्वारा भुगतान की गई ईएमडी राशि को क्रय कीमत के साथ समायोजित किया जाएगा।
4. ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी, इससे संबंधित बिक्री नोटिस, नियम और शर्तों तथा ई- नीलामी के परिचालन भाग से संबंधित हेल्प मैनुअल की प्रतियां ई-विक्रय- आईबीएपीआई पोर्टल (<https://www.ibapi.in>) से डाउनलोड कर सकते हैं।
5. ईएमडी के साथ बोली के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 12.02.2021 से जमा होना शुरू हो जाएगा।
6. बोली लगाने के समय बोली लगाने वाले के ग्लोबल वॉलेट में पर्याप्त शेष ($> =$ ईएमडी राशि) होनी चाहिए।
7. ऑनलाइन नीलामी बिक्री उपर्युक्त उल्लिखित समयानुसार स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगा। नीलामी/बोली शुरू में 180 मिनट की अवधि के लिए होगा जिसमें बिक्री समाप्त होने तक 5 मिनट का स्वतः समय विस्तार भी शामिल होगा।
8. ई-नीलामी के दौरान बोलीकर्ताओं को उद्धृत अंतिम बोली के अलावा परस्पर बोली में अधिक बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी और बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि बोलीकर्ताओं की अंतिम उच्च बोली के लिए रु.10,000 (रु दस हजार रुपए मात्र) की होनी चाहिए। बोलीकर्ताओं को लगातार अधिक बोली लगाने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के लिए 5 मिनट की समय सीमा समाप्ति के बाद किसी भी बोलीकर्ता द्वारा कोई अधिक बोली नहीं लगायी जाती है, तो ई-नीलामी को वहीं पर बंद कर दिया जायेगा।
9. संपत्ति को सफल बोलीकर्ता (खरीदार) को बेचा जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा घोषित सफल बोलीकर्ता (खरीदार) बिक्री मूल्य (ईएमडी राशि रहित) का 25% तुरंत उसी दिन जमा करेगा और यह अगले

कार्य दिवस में जमा नहीं होगा। बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर इण्डियन ओवरसीज बैंक, मेलपुरम शाखा के पक्ष में खाता संख्या 084602000004444, **(ईएमडी खाता : जॉर्ज)** इण्डियन ओवरसीज बैंक, मेलपुरम शाखा, 3/1 एम-3, एल्ज़डै टॉवर्स, प्रथम तल, नडुत्तलै, वेट्टुवेलै, पाक्कोड पोस्ट, मेलपुरम - 629 168, तमिलनाडु, फ़ोन: 04651 264601, 260407, शाखा कोड-0846, आईएफएससी कोड : IOBA0000846 द्वारा जमा करना होगा।

10. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान नीलामी बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा। निर्धारित समय के भीतर उपर्युक्त राशि जमा न करने की स्थिति में सफल बोलीकर्ता द्वारा बोली मूल्य का 25% जमा की गई राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी। चूककर्ता बोली लगाने वाले का जब्त की गयी राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा तथा संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।

11. पूरी बिक्री मूल्य राशि और अन्य करों/शुल्कों के भुगतान के बाद (यदि कोई हो तो), केवल सफल बोली लगाने वाले (खरीदार) के नाम पर ही बिक्री प्रमाण पत्र ही जारी किया जाएगा।

12. स्टॉप शुल्क और बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से संबंधित सभी खर्च, यदि कोई हो (नियमानुसार लागू) तो इसे सफल बोलीकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

13. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को, किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिना बिना कोई कारण बताए (जो कुछ भी हो) बिक्री को स्थगन/आस्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

14. संरक्षित/जमानती लेनदार के कब्जे में बंधक के रूप में मौजूद संपत्ति को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है", "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। यदि कोई ऋण भार, सांविधिक देनदारियों है तो बैंक ने उपर्युक्त के अनुसार केवल ज्ञात ऋण- भार, सांविधिक देनदारियों का ही खुलासा किया है और यह खरीदार की जिम्मेदारी है कि नीलामी में भाग लेने से पहले अपनी लागत पर स्वयं इसकी जाँच पड़ताल कर ले।

15. जहाँ तक ऊपर बताए गए सांविधिक बकाए का संबंध है, बैंक बकाए, को सांविधिक देयता पर प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उपर्युक्त कोई सांविधिक देयता है तो बिना किसी पूर्वाग्रह के खरीदार द्वारा वहन की जाएगी और इस संबंध में, बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

16. संपत्ति की बिक्री संरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि के अधीन है।

17. ई-नीलामी विज्ञापन, बैंक के किसी वायदे को नहीं दर्शाता है और इसे बैंक द्वारा गठित किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी/ जमानती लेनदार, किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाए के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

*आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 -1 ए के अनुपालन में, आयकर आरक्षित मूल्य पर 0.75% की दर से खरीदार/क्रेता के पैन के तहत काटा और भुगतान किया जाएगा। चूंकि कर की गणना केवल आरक्षित मूल्य पर की गई है, इसलिए बोलीकर्ता बोली गुणक राशि पर 0.75% आयकर वहन करेगा और बैंक इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

* पचास लाख रुपये और उससे अधिक की अचल संपत्ति की किसी भी बिक्री/हस्तांतरण के मामले में, हस्तांतरणकर्ता को आयकर के रूप में प्रतिफल का 0.75% के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिनांक 13-05-2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दिनांक 14-05.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतान जो निवासियों को किए गए है उस पर टीडीएस के दर को 25% कम कर दिया गया है । अतः दिनांक 14-05.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान बोली की राशि पर आयकर 0.75% देना होगा ।

18. स्वत्व दस्तावेज़ तथा संपत्ति का निरीक्षण एवं इसके सत्यापन के लिए इच्छुक बोलीकर्ता, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, मेलपुरम शाखा, 3/1 एम-3 , एल्ज़डै टॉवर्स , प्रथम तल, नडुत्तलै, वेदुवेलै, पाक्कोड पोस्ट , मेलपुरम – 629 168, तमिलनाडु, फ़ोन: 04651 264601, 260407 पर दिनांक: 17.03.2021 को कार्यालय समय के दौरान शाम 05.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

19 . इच्छुक बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे हेल्प मैनुअल की, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर दिए गए बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका कड़ाई से पालन करें। ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है तो वे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता (<https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi>) के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं । जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है ।

20. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, सफल बोलीकर्ता को उपर्युक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर सूचित किया जाएगा ।

21. ई नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी के लिए, प्लेटफ़ॉर्म (<https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi>) प्रदान किया जायेगा जिसका पंजीकृत कार्यालय: 225-सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020 पर स्थित है तथा संपर्क फोन टोल फ्री नंबर 033- 22901004 है व हेल्प डेस्क का परिचालन समय: सुबह 8:00 बजे से रात के 8:00 बजे तक है । इच्छुक बोलीकर्ताओं/खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi> में ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है ।

स्थान : नागरकोइल
दिनांक : 10.02.2021

प्राधिकृत अधिकारी
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक